भारत में मानवाधिकार संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका

डॉ. ज्योति साह *

मानवाधिकार से तात्पर्य उन नैसर्गिक और मूलभूत अधिकारों से है, जो मानव जाति के विकास, उसकी स्वतंत्रता, गरिमा, और प्रतिष्ठा हेतु अपरिहार्य है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की जड़ें हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक बनावट और सांस्कृतिक परम्पराओं में निहित हैं। एक उत्तरदायित्वपूर्ण संविधान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जनता के प्रति जबाबदेह जनप्रतिनिधि और चुस्त नौकरशाही आदि मानवाधिकार संरक्षण के विभिन्न आयाम हैं[1], जो भारत में मानवीय हित के कार्यों को सम्पादित कर रहे हैं। विशेष रूप से न्यायपालिका को मानवाधिकार संरक्षण हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में देखा जाता रहा है। तथापि मानवाधिकार संरक्षण हेतु एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गयी जो केवल मानवाधिकार संरक्षण के मुद्दे पर इन सभी को समन्वित कर सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण हेतु एक विकल्प के रूप में देखा गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रोत्साहन, सहयोग तथा दबाब के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और विकास सम्भव हो सका। सन 1993 में गठित इस संस्था ने पन्द्रह से अधिक वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।[2] यह अविवादित रही लेकिन कुछ मामलों में ही यह स्वतंत्र और कठोर निर्णय ले सकी। प्रस्तुत शोधपत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर तलाशने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण को प्रमुख कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत कर सरकार और जनता को जागृत करने में सक्षम हो सका या नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो मानवाधिकार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानक बना। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्वस्तर पर मानवाधिकार संरक्षण से सम्बन्धित संस्थाओं को खोलने के प्रति क्रियात्मक रूचि सन 1980 के पश्चात अपनायी। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अक्टूबर, 1991 में पेरिस में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसने मानवाधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो मानवाधिकार संरक्षण के मुद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से तालमेल बैठाते हुए प्रभावी कार्य कर सके।

प्रारम्भ में भारतीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खोलने के प्रति उदासीन थी। 1990 में भारत ने मानवाधिकार संरक्षण के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया।[3] इससे पूर्व भी भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के तहत मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न धाराओं को अपनाया, जिसमें भेदभाव की समाप्ति, खेलों में रंगभेद का विरोध, सामूहिक नरसंहार के अपराध के निवारण एवं दंड, शिशु अधिकार, दास व्यापार आदि प्रमुख हैं। परन्तु बाबजूद इसके आपातकालीन बन्दियों के शोषण, कश्मीर, पंजाब और उत्तर–पूर्वी राज्यों के मामले में उसकी छवि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख बिगड़ती जा रही थी। ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रचार किया कि भारत सरकार कश्मीर, पंजाब तथा उत्तर–पूर्वी राज्यों में मानवाधिकारों के प्रति उदासीनता दिखा रही है।[4] फलतः अपनी छवि को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सुधारने तथा उनकी आलोचनाओं के प्रत्युत्तर में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित करने के प्रति सहमति बनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित करना समय की मांग भी था।[5] विभिन्न बैठकों, विचार विमर्श और आपसी सहमति के पश्चात 14 मई, 1993 को लोकसभा बजट सत्र में मानवाधिकार संरक्षण बिल,1993 प्रस्तुत किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितम्बर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश,1993 जारी किया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली में है। इसमें अध्यक्ष ,जो उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो तथा सात सदस्य, जिनमें एक उच्चतम न्यायालय का

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास राज.म. स्ना. महावि., सिरसागंज

न्यायाधीश, दो सदस्य जिन्हें मानवाधिकार का व्यावहारिक अनुभव हो तथा तीन सदस्य क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शामिल किये गये। आयोग का एक महासचिव भी है, जो उसका कार्यपालक अधिकारी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जिसे अपने आप या किसी पीड़ित व्यक्ति की तरफ से दायर मानवाधिकार उल्लघंन संबधी याचिका पर विचार करने का अधिकार है। यह न्यायालयों की अनुमति से वहाँ लम्बित प्रकरणों में हस्तक्षेप कर सकता है। आयोग जेल या अन्य संस्थाओं में रह रहे कैदियों की स्थिति पर विचार करने और सुधार करने के लिए किसी भी राज्य सरकार की नियंत्रण वाली किसी भी संस्था अथवा जेल में निरीक्षण कर सकता है। संरक्षण हेतु लागू संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करने का अधिकार भी आयोग को है। 1908 की सिविल संहिता के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति भी प्राप्त हैं, जिसके तहत आयोग गवाह के विरूद्ध सम्मन जारी कर सकता है। साक्ष्य खोजने और संरक्षण के अधिकार के साथ शपथनामा (प्रमाण पत्र प्राप्त करने) , सार्वजनिक रिकार्ड प्राप्त करने, किसी न्यायालय में कागजात प्राप्त करने इत्यादि के अधिकार इसके पास हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसे साक्ष्य को जब्त करने और उसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। साक्ष्य और गवाहों की जांच करने के पश्चात संतुष्ट होने पर वह मामले की संस्तुति कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, मानवाधिकार संबधी अर्न्तराष्ट्रीय नीतियों की समीक्षा करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देने का कार्य भी करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी प्रकरण में आयोग किसी को दोषी पाता है तो उसके सम्बन्ध में सरकार तथा सम्बन्धित विभाग को मात्र संस्तुति कर सकता है।[6] सशस्त्र सेना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मुक्त रखा गया है , आयोग उसके विरूद्ध कोई शिकायत सुन नहीं सकता।

मानवाधिकार से जुड़ी शिकायतें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सीधे सामान्य पत्र के माध्यम से तथा किसी भी भाषा में भेजी जा सकती हैं। शिकायत दर्ज करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। किसी भी रूप में प्राप्त शिकायत को पंजीकृत कर उसे दो सप्ताह से पूर्व ही दो सदस्यों की पीठ के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वर्ष पूर्व घटित घटना से सम्बन्धित शिकायत, न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों ,अस्पष्ट, अनाम या मिथ्या नाम से भेजी शिकायत, तथा अपने कार्य क्षेत्र से बाहर की शिकायतों को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार शिकायतों पर आयोग के निंदेश पर जाँच पड़ताल प्रारम्भ की जाती है।[7]

अपनी प्रथम बैठक 1 नवम्बर,1993 को आयोग ने बिजबहेना पर लोगों की भीड़ पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाने की घटना को स्वयं उठाया और उसकी रिर्पोट भारत सरकार को प्रस्तुत की। उस समय से अब तक अयोग ने बहुत से परिवादों को सुलझाया, जिसमें निरन्तर वृद्धि इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जनता में अपनी छाप छोड़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों के आँकड़ों के आधार पर सबसे अधिक परिवाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। मानवाधिकार हनन के मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा। दिसम्बर, 2008 तक कुल प्राप्त 94559 परिवादों में 55216 उ0प्र0 के हैं,जो कुल परिवादों का 55.39 प्रतिशत है। दिल्ली से 5616 परिवाद दर्ज कराये गये। लक्षदीप से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी। [8]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा सुलझाये गये परिवाद[9]

वर्ष	परिवाद संख्या
1993—94	496
1994—95	6987
1995—96	10195
1996—97	20514
1998—99	40724
1999—2000	50634
2000—2001	77555

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव शंकर सेन का कथन है कि प्रतिवर्ष पुलिस कस्टडी में लगभग 2500 मौत होती हैं तथा आयोग के समक्ष 170 से 180 प्रस्तुत हो पाते हैं।[10] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पिछले 10 वर्षों में पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार हनन की सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें अधिकतर शिकायतें उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं। 31 मार्च 2010 से पहले दर्ज की गयीं इन शिकायतों में कर्मचारियों के खिलाफ मानवाधिकार हनन की शिकायतें भी बहुत अधिक हैं। इनमें अधिकारों के मनमाने इस्तेमाल, अपहरण, बलात्कार, हिरासत के दौरान हिंसा तथा हत्या, फर्जी मुठभेड़ और बंधक बनाने जैसी शिकायतें शामिल हैं। अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायतों में लोगों के अपहरण, जमीन विवाद, भूख हड़ताल, पारिवारिक विवाद, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की निष्क्रियता, मजदूर विवाद और सीमा शुल्क विभाग की ज्यादतियों आदि से सम्बन्धित हैं।सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या भी काफी अधिक है। इनमें कर्मचारियों को अवसर देने में भेदभाव, पेंशन और क्षतिपूर्ति का भुगतान न होने जैसी शिकायतें शामिल हैं। महिलाओं पर अत्याचार की शिकायतों की संख्या भी कम नहीं है।

31 मार्च 2010 से पूर्व दर्ज पिछले दस वर्षो की शिकायतों का वर्गीकरण[11]

पुलिस के विरूद्ध	अन्य लोगों के विरूद्ध	सेवाओं से सम्बन्धित	महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित
377216	2,63,993	73,914	66926

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्राथमिकताओं के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य पी0सी0शर्मा ने देशबन्धु नामक समाचारपत्र को दिये गये एक साक्षात्कार में बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेलों एवं अस्पतालों की स्थिति आदि जैसे मसलों को आयोग उच्च प्राथमिकता देता है।[12] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किये गए परिवादों में अवैध गिरफ्तारी, झूठा फंसाया जाना, पुलिस ज्यादती, कार्यवाही में असफलता, महिलाओं का अपमान, आतंकवादी और नक्सलवादी हिंसा तथा कारगरों की स्थिति आदि से सम्बन्धित परिवाद आते हैं। गरीब जनता के शोषण और उत्पीड़न के मामलों में आयोग की कार्यवाही प्रभावी रही। जनजातियों का भूमाफियों द्वारा शोषण[13], विशाल परियोजनाओं के तहत विस्थापितों की समस्या, विकलांग, दलित और मानसिक राष्ट्रीय मानवाधिकार रोगियों से सम्बन्धित समस्याओं,, वृंदावन की विधवाओं के पुर्नवास सम्बन्धी[14] बंधुआ मजदूरी मानवीय श्रम, महिलाओं और बाल शोषण, एडस आदि के निवारण हेतु किये गए कार्यों में आयोग को कुछ सफलता प्राप्त हुयी है। गुजरात में गोधरा कांड के पश्चात होने वाली हिंसा तथा बेस्ट बेकरी कांड आदि पर उसकी संस्तुति पर सी.बी.आई. जाँच सम्भव हो सकी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर मेडिकल छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर एक अनिवार्य विषय पढ़ाए जाने का भी आग्रह किया था।[15]किशोर न्याय प्रणाली के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सचेत है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा एक सेमीनार का आयोजन भी किया गया था ।[16] इसके बाबजूद कुल प्राप्त शिकायतों में से एक तिहाई से अधिक शिकायतों में आयोग शिकायतकर्ता को कोई जबाव नहीं देता। लगभग 50 प्रतिशत शिकायतों के लिए स्मरणपत्र भेजने पड़ते हैं। शिकायतों की औसत लम्बित अवधि लगभग 18 से 23 माह है। देरी का प्रमुख कारण न केवल राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा देरी से जबाव भेजना है वरन् आयोग की धीमी कार्यप्रणाली भी है।[17] एस0शंकर ने आरोप लगाया है कि आयोग पुलिस और न्यायपालिका के कार्यों का दोहराव कर रहा है। वह अपनी इच्छा और सुविधानुसार कार्य करता है। आयोग ने अपने शोध अध्ययन के लिए भी जिस तरह के विषय चयन किए हैं उनमें आतंकी, नक्सली हिंसा, पंथीय मनमानी से होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के विषय सम्मलित नहीं किये गये। वहाँ भी उन्हीं विषयों को उठाया गया है जो मीडिया, विदेशी संस्थानों तथा एन.जी.ओ. आदि को प्रिय हैं।[18]

मूल्यांकन– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सम्बन्ध में किए गए विभिन्न अध्ययनों से प्रकट होता है कि आयोग प्रभावी भूमिका निभाने में अक्षम रहा। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के समतुल्य कार्यरत व्यवस्था क्रियान्वित किए जाने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आंशिक सफलता प्राप्त हुयी। तथापि उसके द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों को जागृत करने का कार्य किया गया।

भारत का सामाजिक परिवेश मानवाधिकार हेतु परिपक्व नहीं है। यह मुख्यतः निरक्षरता, गरीबी, सामाजिक विघटन, असम्वेदनशील व्यवस्था से ग्रसित है। भारतीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने के प्रति उदासीन थी। सुमन्ता बनर्जी का मानना है कि सरकार ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थित पश्चिमी कूटनीतिज्ञों को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए गठित किया था, किन्तु इसे जिस तरह के संसाधन उपलब्ध कराये उससे यह मात्र एक साधनविहीन और अयोगय संस्था ही बन सकी।[19] वास्तव में मानवाधिकार संरक्षण बिल,1993 के अन्तर्गत गठित यह आयोग एक कमजोर बुनियाद पर आधारित हुआ था। अधिनियम में मानवाधिकार के सम्बन्ध में जो व्याख्या है वह सीमित तथा अस्पष्ट है। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से सम्बन्धित अधिकार, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित हैं अथवा भारत में न्यायलयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, मानवाधिकार कहे गए।[20] अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अन्तर्गत बहुत से मानवाधिकार संरक्षण के मामलों को बतौर नीति समाहित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कुछ आन्तरिक और बाह्य कारणों से अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित नहीं कर सका।—राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ आपसी समन्वय की बात कही गयी, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल श्रम, शिक्षा, बाल कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत सुझाव दिये गए जिन पर केन्द्र सरकार ने कार्यवाही नहीं की। सशस्त्र सेना तथा कर्मियों द्वारा मानवाधिकार के उल्लघंन के मामलों को मानवाधिकार संरक्षण से मुक्त रखा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इनके विरूद्ध शिकायतों को नहीं सुन सकता। वह राज्य सरकारों पर अपने सुझावों के क्रियान्वयन हेतु दबाव नहीं डाल सका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वार्षिक रिर्पोटों में दिए अपने सुझावों को स्वयं आंशिक रूप से लागू करने की पैरवी की। विधिक औपचारिकता तथा प्रशासनिक बाधाओं के कारण वह बहुत से क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपने पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी ढिलाई बरतता रहा, जिससे इसके कार्य प्रभावित हुए। इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का अभाव है। समयबद्धता का भी अभाव दिखाई देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारतीय सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक प्रभावी कार्यकारी योजना बनाने में असफल रहा, जिस कारण कई प्रयास सफल नहीं हो सके। प्रबुद्ध सामाजिक वर्ग का भी अभी तक आपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। आयोग के कुछ कार्य राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दुःसाध्य हो गये।

अपनी समस्त कमजोरियों के बाबजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कुछ क्षेत्रों में विशेषकर जिन के प्रति सरकार स्वयं उत्तरदायी थी, मानवाधिकार हनन रोकने में प्रभावी रहा। इसकी शिकायत सुनने की विधि प्रभावी है, जिसके द्वारा वह सरकार और उसकी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने मे सक्षम हुआ। राजनैतिक और न्यायप्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सफल रहा।

चैपमेन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधिक व्यवस्था के साथ केवल सहयोगी की भूमिका निभा रहा है।[21] कार्डनेस के अनुसार— यह मूलतः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत मानवाधिकार हनन की रक्षा करने के लिए यह एक कमजोर व्यवस्था है।[22]सुमन्ता बनर्जी ने इसे पूर्णतः विफल बताया है।[23] पीपुल्स वॉच ग्रुप द्वारा प्रकाशित सैविल नायरहॉफ की पुस्तक 'फ्रॉम होप टू डिस्पेयर' में भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्यवाही करने में बुरी तरह असफल रहा।[24]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य पी.सी.शर्मा ने आई ए एन एस से बातचीत में कहा था कि यह धारणा सही नहीं है कि आयोग एक दंतहीन निकाय है। संसद ने इसे एक सिफारिश करने वाले निकाय के रूप में गठित किया था और इसकी 99 फीसदी सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं।[25] दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे वैचारिक संगठन समाज और व्यवस्था को विचार प्रदान करते हैं, जिनको क्रियान्वित करना सरकार का दायित्व है। आदेश और निर्देश जारी करने भर से कुछ परिवर्तन नहीं होते इसके लिए आवश्यक है कि मानवाधिकार के प्रमुख नियमों से जनता को परिचित कराया जाये तथा उनके हनन को रोकने के प्रति जागरूक बनाया जाये। हमारा समाज जिसमें हजारों वर्षों से अधिकार कुछ विशेष लोगों के हाथों में रहे हैं और सामान्य जनता का शोषण निरन्तर किया जाता रहा है, ऐसे में बौद्धिक वर्ग का यह दायित्व हो जाता है कि वह

मानवाधिकारों के प्रति समाज और सरकार में आम सहमति बनाये तथा एक समतामूलक समाज के निर्माण हेतु प्रयास करें, तभी मानवाधिकार हनन को रोका जा सकता है।

सन्दर्भ :

---

[1]. ब्राइन बुद्रकिन और एनी गालघर– 'द यूनाइटेड नेशंस एण्ड नेशनल ह्यूमन राइटस् इन्स्टीटयूशंस', ह्यूमन राइट–2 / 1998
–पाक्षिक पत्रिका, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, पृष्ठ–21

[2]. भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दक्षिणी एशिया में मानवाधिकार संरक्षण हेतु स्थापित प्रथम संस्था थी।

[3]. कबीर, ए.एच.एम– इस्टेवलाइसिंग नेशनल ह्यूमन राइटस् कमीशन इन साउथ एशिया – ए क्रिटिकल एनालेसिस ऑफ द प्रोसेस
एण्ड द प्रोस्पेक्टस, एशिया पेसिफिक जर्नल ऑफ ह्यूमन राइटस् एण्ड द लॉ,2001, भाग 2, पृष्ठ 1–53

[4]. रिर्पोट –कश्मीर अण्डर सीज़ , एशिया वॉच, ह्यूमन राइटस् वॉच रिर्पोट ऑफ 1991 , मई,1991
(http/w.w.w hrw.org/report/1992/wr92/asw-07)

[5]. कबीर, ए.एच.एम– उपरोक्त

[6]. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993,18 (3)

[7]. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विनियमन 1994 के विनियमन 08

[8]. http/ ibnlive in- com ; 15 March,2009

[9]. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक रिर्पोट, 1993–94,1994–95,1995–96,1996–97, 1998–99,1999–2000,, 2000–2001

[10]. उपरोक्त

[11]. nhrc/ complaints against police on human rights- khaskhabar. htm

[12]. हम दंतहीन नहीं हैं : मानवाधिकार आयोग , देशबन्धु समाचारपत्र, दिनांक–8.12. 2009,
www.deshbandhu. co.in

[13]. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक रिर्पोट, 1999–2000,पृष्ठ–53

[14]. NHRC, HR Newsletter, May2002

[15]. हम दंतहीन नहीं हैं : मानवाधिकार आयोग , देशबन्धु समाचारपत्र, दिनांक–8.12. 2009,
www.deshbandhu.co.in

[16]. उपरोक्त

[17]. मानवाधिकार आयोग नींद में– पी .एन.एन. हिन्दी, h-rights,pnn,blogspot.com/2007

[18]. मानवाधिकारों पर राजनीति–एस.शंकर–आयुष्मान पत्रिका, aayushman.org

[19]. बनर्जी, सुमन्ता– ह्यूमन राइटस इन इण्डिया इन द ग्लोबल कान्टेक्स्ट , इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी,2003

[20]. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993

[21]. चैपमेन, ऑर्डी आर .– इन्डीकेट्स एण्ड स्टेन्डर्डस फार मॉनिटरिंग इकॉनामिक, सोशियल एण्ड कल्चरल राइट्स,
http/shr.aaas.org/pubs/title.php

[22]. कार्डनेस, सोनिया– एडेप्टिव स्टेट्स : द प्रोलिफिरेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइटस इन्स्टीट्यूशन , कार सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस
पॉलिसी वर्किंग पेपर टी–01–04, पेज–1

[23]. पूर्वोक्त

[24]. . मानवाधिकारों पर राजनीति–एस.शंकर–आयुष्मान पत्रिका, aayushman.org

[25]. . हम दंतहीन नहीं हैं : मानवाधिकार आयोग , देशबन्धु समाचारपत्र, दिनांक–8.12. 2009,
www.deshbandhu.co.in

***